क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		दिनांक 06/06/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	06/06/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। आदेशिका दिनांक 08/12/22 के अनुसार वादी को प्रतिवादीगणों पर सम्मन के लिए रजिस्टर्ड तलबी कार्यवाही जानी थी। परन्तु प्रकरण 1½ वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादीगणों को सम्मन के लिए रजिस्टर्ड तलबी पेश नहीं की गयी। अतः न्यायालय, आदेशिका के अवलोकन करने पर भी न्यायालय यह पाता है कि न्यायालय आदेशिका दिनांक 08/09/2022 में विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश जारी किया गया था। आदेश 39, नियम-3 CPC में यह Mandatory Provision है कि ऐसे व्यादेश के तुरन्त पश्चात वादी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा विरोधी पक्षकारों को सम्मन की तामील करवाएगा। बावजूद इसके वादी रजिस्टर्ड तलबी हेतु डाक खर्चा देने में विफल रहा है। अतः वादी का वाद आदेश 09 नियम 02 CPC के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक ... जयपुर शहर	